



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 2249/समुकाअ/चिप्स/2021

रायपुर, दिनांक 28/12/2021

प्रति,

उपनिदेशक,

एलिफेंट रिजर्व अंबिकापुर

(छत्तीसगढ़).

मा.चि.
12

Dy. Director
Elephant Reserve Surguja
Ambikapur (C.O.)

विषय : विषयांतर्गत सुरजपुर जिले के एलिफेंट रिजर्व अंबिकापुर अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattishgarh Infotech Promotion Society "Forest land required for Optical Fibre Cable Laying works under BharatNet project which is a GOI initiative- Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State", area 1.462 ha. regarding

संदर्भ : 1 आपका पत्र क्र./मा.चि./2021/1512 दिनांक 15/12/2021।

2. वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक (एलिफेंट रिजर्व), सरगुजा वन वृत्त का पत्र क्र./मा.चि./1952 दिनांक 01/12/2021 दिनांक 21/10/2021।

3. अ.प्र.मु.व.सं. नया रायपुर का पत्र क्रमांक/भू प्रबंध/विविध/115-852/2628, दिनांक 21/10/2021।

-CO-

विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव में नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत कमियां पायी गई है जिसका निराकरण/स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :-

- 1 C-3 Upload kml के attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) जानकारी के साथ अपलोड है एवं गैर वन भूमि का भी पालीगॉन दिखाया गया है परन्तु बीच-बीच में कई स्थानों में पालीगॉन छुटे हुए दर्शित हो रहें जिसे काले घेरे से दशायी गया है। के. एम. एल फाईल में पालीगॉन क्यों छुटे हैं कारण बतावे एवं सुधार करावें। इससे स्पष्ट होता है कि वनमंडल स्तर पर जाँच नहीं किया गया।

परिवेश पोर्टल में उक्त प्रस्ताव के ऑनलाइन फार्म ए पार्ट-1 C-3 Upload kml में सही के.एम.एल. फाईल अपलोड किया गया है जिसमें किसी भी स्थान पर पालीगॉन छुटा नहीं था। उक्त के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव के साथ भी सी.डी. में संलग्न किया गया है। इस परिपेक्ष में नोडल कार्यालय में सम्बंधित तकनीकी अधिकारी से चर्चा कर उनके संज्ञान में ये तथ्य लाया गया था तदोपरांत प्रस्ताव में संलग्न सी.डी. के के.एम.एल. फाईल की जाँच उनके द्वारा की गई जिसमें फाइल में किसी भी स्थान पर पालीगॉन छुटा हुआ नहीं पाया गया। परिवेश पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण शायद रूट का कुछ हिस्सा विलोपित हो गया होगा तथापि उक्त फाइल को पुनः अपलोड किया गया है।

2 **आनलाईन फार्म ए पार्ट-1 के बिन्दु क्रमांक K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act- 2006 on the forest land proposed to be diverted.**

(1). **Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 in the forest land proposed to be diverted has been completed: No**

वनमंडलाधिकारी कार्यालय ध्यान रखें कि वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर उपरोक्त प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना होता है। प्रमाण पत्र निर्धारित कॉलम में अपलोड कराये।

आनलाईन फार्म ए पार्ट-1 के बिन्दु क्रमांक K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act- 2006 on the forest land proposed to be diverted संशोधित कर लिया गया है।

(1). **Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 in the forest land proposed to be diverted has been completed: YES**

वन अधिकार प्रमाण पत्र निर्धारित कॉलम में अपलोड किया गया है।

3 **Form A Pant-II के कॉलम न. 15 में अपलोड प्रपत्र-3 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है। सही जानकारी के साथ अपलोड करावें।**

उक्त संशोधन कार्यालय, उप निदेशक, एलिफेंट रिजर्व सरगुजा द्वारा किया जावेगा।

4 **Form A Pant-II के कॉलम न. 15 में अपलोड भाग-2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है। सही जानकारी के साथ अपलोड करावें।**

उक्त संशोधन कार्यालय, उप निदेशक, एलिफेंट रिजर्व सरगुजा द्वारा किया जावेगा।

5 **एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकाशित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस के.एम. एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से**

सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

उक्त संशोधन कार्यालय, उप निदेशक, एलिफेंट रिजर्व सरगुजा द्वारा किया जावेगा।

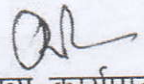
- 6 आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जावे इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।

उक्त संशोधन कार्यालय, उप निदेशक, एलिफेंट रिजर्व सरगुजा द्वारा किया जावेगा।

- 7 संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल. फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
उक्त संशोधन कार्यालय, वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

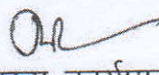

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी
(चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 2249/समुकाअ/चिप्स/2021

रायपुर, दिनांक 28/12/2021

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़।
- 2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन
सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़